कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद रायबरेली।

जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005

जनपद रायबरेली।

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा4(1)बी0 के अनुसार जनपद रायबरेली के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है:–

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण:–

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धो के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नही किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराधनियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गो में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना ,महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावो और जुलूसो को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वाजनिक सड़को इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय अस्थीय भवन में कार्यरत है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद रायबरेली के अन्तर्गत 05 सर्किल है जिसमें 08 कोतवाली 10 थाने एवं 01 महिला थाना है इस प्रकार कुल 05 सर्किल 19 थाने पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन में है।

1-1 जनपद में पुलिस का संगठन:–

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है–

क0सं0	सर्किल का नाम	क0सं0	थानों का नाम
1.	क्षेत्राधिकारी कार्यालय/नगर रायबरेली	1.	कोतवाली नगर
		2	मिलएरिया
		3	भदोखर
		4	महिला थाना
2.	क्षेत्राधिकारी महराजगंज/पुलिस लाइन/आंकिक शाखा	5	महराजगंज
		6	हरचन्दपुर
		7	बछरावाँ
		8	शिवगढ़
3	क्षेत्राधिकारी डलमऊ	9	डलमऊ
		10	जगतपुर
		11	गदागंज
		12	ऊँचाहार
4.	क्षेत्राधिकारी लालगंज	13	लालगंज
		14	गूरूबक्शगंज
		15	खीरों
		16	सरेनी
5.	क्षेत्राधिकारी सलोन	17	सलोन
		18	नसीराबाद
		19	डीह

1-2 जिला पुलिस के अधिकारी के कर्तव्यों का विवरण:–

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग मे नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्व के जारी किये गये सब आदेशो एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधो व लोक अवदूषण का निवारण करे,

अपराधियोंका पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

2. अधिकारियोंऔर कर्मचारियोंकी शक्तियां एवं कर्तव्य का विवरणः–

पुलिस अधिनियम, 1861, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशोंके अन्तर्गत पुलिस केअधिकारियों/कर्मचारियोंके निम्नलिखित अधिकार एवंकर्तव्य हैंः–

2.1 पुलिस अधिनियमः–

धारा	अधिकारियोंऔर कर्मचारियोंकी शक्तियां एवं कर्तव्य
7.	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियो को किसी समय अधीनस्थ पदा ें के ऐसे किसी अधिकारी का े दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें
17.	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब यह प्रतीत हो कि कोइ विधि विरूद्ध जमाव, बलवा या शंन्ति भंग हुई होया होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है
22.	पुलिसअधिकारीसदैवकर्तव्यारूढ़मानेजातेहैंतथा उन्हेंजिलेकेकिसीभीभागमेंनियोजितकिया जा सकताहै
23.	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्व कजारी किये गये सब आदेशो ं का पालन व निष्पाद न करे,लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधा ें व लोक अबदूषण का निवारण करें, अपराधियो ंका पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराबकी दुकान, जुआघर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियोंके
25	लवारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपनेभार साधन मेंलेंतथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट कोदें तथा नियमानसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावोंऔर जुलूसोंको विनियमित करनेऔर उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।
30क	उपरोक्त अनुमति की शर्तो क े उल्लंघन करनेपर थानेकेभार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियोंको जूलूस या किसी जमाव कारो कनेयाबिखर जानेके आदेश देने की शक्ति
31.	सार्वजनिक सड़को ंव मार्गों,आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य
34.	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारनेया यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा मेंलेलें
34क	उपरोक्त अपराध केशमन करनेकी शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियोंमेंनिहित है
47.	ग्राम चौकीदारो पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व

2.2 पुलिसरेगुलेशनः–पुलिस रेंगुलेशान के पैरा 12 से 16 तक जिला पुलिस अधीक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नवत् हैंः–

प्रस्तर	कर्तव्य

12से16 पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यो के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हे स्वतन्त्रता पूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तद्नुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्ति गत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है। पड़ोसीजन पदो के पुलिस अधीक्षकों से यथा सम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिक में जिले का प्रभार सौपें जाने वाले राजपत्रित [illegible]
17सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी उस भी कार्य को किया जाता है ,जो व्यक्तिगत रूप से विधिव नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।

18से23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा , अनुशासन ,प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे ।आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सब इंस्पेक्टर	रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते है जो गार्द एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध मे प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्यो को करते हैं।
43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्टरों अभिलेखो ,विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रतिदायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभ्रान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्री पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए ।थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफ्तीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म न0 299 भर कर पुलिस अधीक्षक को सूचना
51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना ,भार साधक अधिकारी द्वारा सौपे गये समस्त निर्देशो को अधीनस्थों को बताना ,अन्वेषण करना होता है।
55 हेडमोहर्रिर	हेडमोहर्रिर के कर्तव्य i) रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। ii) हिन्दी रोकड़बही (पुलिस फार्म न0 224) iii) यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पंचायत नामा लिखना।
61 से 64 बीट आरक्षी	कान्स0 नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओ पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधो की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी ड्यूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स0 के रूप मे संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधीत था खानाबदोश अपराधियो की सूचना प्रभारी [illegible]
65से69 सशस्त्रपुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों,हवालातों के संरक्षक, कैदियो और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते मे देखभाल ,आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियो की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।

79 से 83 घुड़सवार	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवोंया अन्य आयोजनोंमें भीड नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गॉवा की देख रेख करना, अपराध एवं अपराधियोंकी सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियोंको गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.2 दण्डप्रकियासंहिता

द.प्र.सं. की धारा	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियोंका प्रयोग कर सकते हैं जिन का प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थानेके भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओ में करने की शक्तियॉः– 1- संज्ञेय अपराध की दशा में। 2- कब्जे से गृह भेदन का उपकरण 3- .उद्घोषित अपराधी 4- चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5- पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा

42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
48	गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का गिरफ्तार करने की शक्ति।
49	गिरफ्तार किये गयेव्यक्ति को उतने से अधिक अवरूद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भाग नेसे
50	गिरफ्तार कियेगयेव्यक्ति को गिरफ्तार के आधारोंऔर जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफ्तार कियेगयेव्यक्तियोकी तलाशी।
52	गिरफ्तार किय गयेव्यक्ति से अक्रामक आयुधोंको अधिग्रहण करने की शक्ति।
53	पुलिस अधिकारीके आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया
54	गिरफ्तार किये गयेव्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्री कृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकिय
56	गिरफ्तार कियेगयेव्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार कियेगयेव्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध न रखना।
58	बिना वारण्ट गिरफ्तारारियोंकी सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से भागेअभियुक्तोंको सम्पूर्ण भारत मेंकही भी गिरफ्तार की शक्ति
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है ,तलाशी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओंको अभिग्रही तक करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध मे चोरी की हुई होनेका सन्देह हो।
129	उप निरीक्षक व उस से उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितरबित रकरने की शक्ति।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राज पत्रित अधिकारियोंकी शक्ति।
132	धारा129,130,131 के अधीनस दभावना पूर्वक किये गये कार्योंके सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधोंके कियेजाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षतिरोक ने का अधिकार।
153	खोट बॉट मापोंका निरीक्षण/अधिग्रहण।

154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेख बद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को
155	असंज्ञे या मामलो में थाने के भार साधक अधिकारी को एसी इत्तिला का सारसंबंधित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देनेवाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलोंअन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
160	अन्वेषण के अनतर्गत साक्षियोंकी हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्षियोंका परीक्षण कियेजाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनोंके लिए किसी स्थान मे ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जब्ती के कारणो को लेख बद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषण कर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भीतला शीकरवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषणन पुरा किया जास के तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोडा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त होतो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियोंको केस डायरी में लेख बद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त होजाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्य समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्य वाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियोंको शमन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्य समींक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2.3 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देशः–

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय मेंगिरफ्तारीया निरूद्धी करण के प्रकरणोंमेंपुलिस जनोंके निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये है।

1- गिरफ्तारी केसमय गिरफ्तार कर्तापुलिस अधिकारी को अपनेपद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।

2- गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति केपरिवार केकिसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति केप्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दीजायेगी।

3- पुलिस अभिरक्षा मेंउसे अपनेरिश्तेदार या मित्रसे मिलनेदिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।

4- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरूद्ध रखने के स्थान के बारे मेंबताया जायेगा।

5- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति सेअवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी केसंबंध मेंसूचित करनेवह अधिकृत है।

6- गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारीर जिस्टर मेंही अंकित किया जायेगा।

7- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

8- गिरफ्तार कियेगये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टेपर प्रशिक्षित डाक्टर सेचिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

9- गिरफ्तारी के सभी अभिलेखोंकी प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।

10- जांच काल मेंगिरफ्तार व्यक्ति कोअपनेअधिवक्ता से मिलनेकी अनुमति दी जा सकती है।

11- गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण ाकक्ष मेंनोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्वः–

2.4 –1(अ) कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

3–अपनेनियंत्रणाधीन पुलिस अधीकारी एवं अन्य अधीनस्थ कर्मियोंके कार्योका मुल्यांकन करना।

4–क्षेत्र मेंकार्यरत समस्त निरीक्षक/ना0पु0उप निरीक्षक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट के स्वीकृत अधिकारी होगे साथ ही क्षेत्र के कारर्यरत पुलिस उपाधीक्षक स्तर केपुलिस सेवा के अन्य अधिकरियों के लिये समीक्षक अधिकारी होगे।

(ब)वार्षिक मन्तव्य एवं उत्तर दायित्वः–

1–पुलिस बल मेंअनुशासन बनाये रखना तथा उनमेंसुधार लाना।

2–नियंत्रणाधीन पुलिस कर्मियों के कल्याणकी ओर उपयुक्त ध्यान देना।

3–साम्प्रदायिक तनावोंके दौरान पुलिस के कार्य परगहन पर्यवेक्षण कराना।

4–समाज केहरिजन एवंदुर्बल वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिये स्थानीय पुलिस की कार्य प्रणाली एवं उत्तर दायित्व गहन पर्यवेक्षण और महिलाओं के विरूद्व अत्याचारों के मामलो में विशेष घ्यान देना।

5–उन आन्दोंलनोंजन मेंजन'| क्ति भंग होअथवा भंग होने की आ'ां का होके विषय मेंपुलिस कार्य प्रणालियों का गहन पर्यवेक्षण करना।

(स) अन्य उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यः–

1–पुलिस अधीक्षक अपनेअधीनस्थ समस्त शॉाखाओं/थानोंका वर्ष मेंएक बार विस्तृत निरीक्षण करना।

2–ऐसे अन्य कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व जो समय–समय पर शॉासन द्वारा या पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक से प्राप्त आदेश एवं निर्देशो का पालन किया जाना।

3–जनपद मेंहोने वालेसभी निर्माण कार्योकी कार्य कारी संस्थाओंके साथ मासिक समीक्षा की जायें। हर निर्माण कार्य का एक समय बद्व कार्य कम बनवाकर उसके आधार पर समीक्षा करे।

4–कर्मचारियोंके कल्याण से संबंधित सभी बिन्दुओंउनकेआवासों भवनो का रख रखाव वेतन, पेन्सन पदोन्नति ,वदी´,आदि केविषय मेंनिरीक्षण व समीक्षा कर उनको समय बद्वरूप सेसुनिश्चित कराना।

5–अपनेजनपद मेंआर्मएवं एम्युनेशन की स्थिति की समीक्षा कर उनकी पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

6–कार्यालय भवनोके रख रखाव और सुदृढी करण पर विशेष रूप से ध्यान देना।

7–कम्पुटरीकरण हेतु थानावार समयबद्व रूप सेरूप रेखा तैयार कर उसकी समीक्षा करना ।8–अच्छेकर्मचारियोंको पुरस्कार स्वीकृत करना।

9–अपराध्यिो ंसे सम्पर्करखनेवालेकर्मचारियोंके विषय मेंनिरन्तर रूप से समीक्षा कर उनका स्थानान्तरण कराना और उनकेविरूद्व प्रभावी कार्यवाही कराना।

10–जनपद केसभी थानों पर टेलीफोन/वाहन एवं अन्य संचार की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

11–जनपद केअन्दर आने वालेसभी बजट संबंधी आवश्यकताओं/समस्याओंका नियमित ऑकलन करना तथा पुलिस मुख्यालय व पुलिस महानिदेशक करार्यालय के साथ निराकण हेतु समन्वय कराना।

12–पुलिस रेगुलेशन केनिहित प्राविधानोंके अनुसार नियमानुसार स्थानान्तरण प्रकिया केअनुसार एक शाखाअेंसे दूसरी शाखाओ जनपद मेंसमय सीमापूर्ण कर चुकेअधिकारियों/कर्माचारियोंके स्थानान्तरण की संस्तुति कराना।

13–शासनादेशानुसार अपराधियोंकी गिरफतारी हेतुरू0 5000/– का पुरस्कार घोषित करना।

14–चिकित्सा प्रतिपूर्तिकेअन्तर्गत रू0 1,00,000/– की स्वीकृति का अधिकार।<u>3–**पुलिस अधीक्षक केआदेशें के अनुसार।**</u>

1–अपनेकार्य क्षेत्र के पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण।

2–अपनेकार्य क्षेत्र मेंअपराधों की रोक थाम तथा उस पर नियंत्रण ओर अपराधियोंअसामाजिक तत्वों एवेंसंठित अपराधिक गिरोंके विरूद्व डाटावेकस तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्यवाही सुनिनिश्चत करना।

3–अपनेकार्य क्षेत्र मेंसाम्प्रदायिक तनाव के दौरान पुलिस के कार्य पर गहन पर्यवेक्षण करना एवंअधीनस्थ अधिकारियोंका मार्गदर्शन करना।

4–अपनेकार्य क्षेत्र मेंसाम्प्रदायिक तनाव के दौरान पुलिस के कार्य पर गहन पर्यवेक्षण करना एवं अधीनस्थ अधिकारियोंका मार्गदर्शन करना।

5–समाज के दलित एवंदुर्बल वर्ग केलोगो ंकी सुरक्षा केलिए स्थानीय पुलिस के कार्यप्रणाली एवं उत्तरदायित्वोंका गहन पर्यवेक्षण एवं महिलाओंके विरूद्व अपराध/उत्पीडन केमामलोंमें ध्यान देना।